मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 2012 (फाल्गुन 23, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

1. स्वागत - उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा लोकसभा के संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो द्वारा संसदीय प्रारूपण पर आयोजित 27वें अंतराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पधारे विभिन्न देशों के प्रतिनिधि एवं लोकसभा सचिवालय तथा अन्य विधान मण्डलों के अधिकारीगण का अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत किया गया।

2. स्थगन प्रस्ताव

मुरैना जिले में एक पुलिस अधिकारी को ट्रेक्टर द्वारा कुचले जाने विषयक स्थगन प्रस्ताव पर, प्रश्नकाल स्थगित कर तत्काल चर्चा प्रारम्भ की जाना

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा मुरैना जिले में दिनांक 8 मार्च, 2012 को श्री नरेन्द्र कुमार, पुलिस अधिकारी को ट्रेक्टर द्वारा कुचले जाने सम्बन्धी दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना का उल्लेख किया गया एवं मामले में सी.बी.आई. जांच की मांग की गई। श्री शिवराज सिंह चौहान, सदन के नेता द्वारा प्रश्नकाल को स्थगित कर स्थगन प्रस्ताव पर अपवाद स्वरूप तत्काल चर्चा प्रारम्भ करने हेतु सहमति दी गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचना पढ़ना प्रारम्भ किया गया किन्तु कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा शासन से घटना की सी.बी.आई. से जांच की घोषणा करने की मांग की गई तथा काली पट्टी लगाकर, गर्भगृह में आकर नारेबाजी की गई। अध्यक्ष महोदय, श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री तथा डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ करने हेतु सदस्यों से अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कांग्रेस पक्ष के सदस्यों से अपने आसनों पर वापस जाने हेतु निर्देश दिया गया, किन्तु सदस्यगण गर्भगृह में ही रहकर नारेबाजी करते रहे तथा व्यवधान के मध्य सदन की कार्यवाही जारी रही।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -
(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की मंदसौर जिले के नगरी स्थित विद्यालय भवन न होने,
(2) श्री मोहन शर्मा, सदस्य की नरसिंहगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अनुदान योजना से ट्रांसफार्मर उपलब्ध न कराये जाने,
(3) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की मंडला जिले से डिण्डोरी जिले को जोड़ने वाला मार्ग खराब होने,
(4) राव देशराज सिंह यादव, सदस्य की मुंगावली के ग्रामीण क्षेत्रों में शालाएं न खोले जाने,
(5) श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य की पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में पाला पड़ने से फसलें नष्ट होने,
(6) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल शहर के चौक बाजार क्षेत्र में पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने,
(7) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की भोपाल शहर के बालविहार से घोड़ानक्कास तक सड़क मार्ग की जर्जर हालत होने,
(8) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की भोपाल शहर की शासकीय विद्यालयों की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने,
(9) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले में डी.जे. की गूंज से छात्रों एवं हृदय रोगियों की परेशानी होने तथा
(10) श्री जुगुल किशोर, सदस्य की सतना जिले की कृषि भूमि सीमेंट कंपनी को आवंटित की जाने
सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 पटल पर रखा।

(2) श्री पारस जैन, राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 पटल पर रखा।

5. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की कार्यसूची में उल्लेखित 4 ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तद्नुसार –

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की सागर संभाग के जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधिकारियों द्वारा स्वर्ण जयंती रोजगार योजना की राशि का दुरूपयोग किये जाने,

(2) श्री कमल पटेल, सदस्य की हरदा जिले में कृषकों को सोयाबीन फसल की बीमा राशि न मिलने,

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड एवं दतिया जिले के अंतर्गत मिहोना-लहार-दबोह-भाण्डेर-चिरगांव सड़क मार्ग के निर्माण में अनियमितता होने तथा

(4) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले के खाचरोद क्षेत्र अंतर्गत छात्र-छात्राओं को गणवेश एवं सायकिल न मिलने

सम्बन्धी ध्यानाकर्षण की सूचनाएं सदन में अत्यधिक व्यवधान होने के कारण प्रस्तुत नहीं की गईं।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित, निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिंड)
(2) डॉ. निशिथ पटेल (जिला-कटनी)
(3) श्री कमल पटेल (जिला-हरदा)
(4) श्री संजय पाठक (जिला-कटनी)
(5) श्री पारस सकलेचा (जिला-रतलाम शहर)
(6) श्री विश्वास सारंग (जिला-भोपाल शहर)
(7) श्री मोती कश्यप (जिला-कटनी)
(8) श्री आशाराम अहिरवार (जिला-दतिया)
(9) श्री गिरिजा शंकर शर्मा (जिला-होशंगाबाद)

7. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का सूचना प्रौद्योगिकी नीति में संशोधन विषयक वक्तव्य

श्री कैलाश विजयवर्गीय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2006 में संशोधन विषयक वक्तव्य दिया।

8. वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2012 को सदन में उपस्थापित, वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक पर दिनांक 29 फरवरी एवं 1 मार्च, 2012 को हुई सामान्य चर्चा के क्रम में, निम्नलिखित सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

(25) श्री अभय कुमार मिश्रा
(26) श्री गौतम टेटवाल

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

9. अध्यक्षीय घोषणा

तंबाखू के उपयोग से होने वाले दुष्परिणाम सम्बन्धी प्रबोधन कार्यशाला विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज दिनांक 13 मार्च, 2012 को अपराह्न भोजनावकाश के समय विधान सभा परिसर स्थित ऑडिटोरियम में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा मध्यप्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ द्वारा तंबाखू व इसके उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्परिणाम विषय पर प्रबोधन कार्यशाला एवं उसके पश्चात् दोपहर भोज का आयोजन किया गया है।

पूर्वाह्न 11.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 2012 (फाल्गुन 24, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 13 मार्च, 2012